

(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखंड (II) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना सं. 54/2023
नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2023

विषय: आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के तहत, उड़द [एसपीपी विग्ना मुंगो (एल) हेप्पर की बीन्स] [आईटीसी (एचएस) 07133110] और तूर/पिजन पीज़ (केजनस काजन) [आईटीसी (एचएस) 07136000] की "मुक्त" आयात नीति को दिनांक 31.03.2025 तक बढ़ाना।

सा. आ. (अ): समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित और विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आयात नीतिगत भातों में निम्नानुसार संशोधन करती है:

आईटीसी (एचएस) कोड	मद विवरण	आयात नीति	मौजूदा नीतिगत भात	संशोधित नीतिगत भात
07133110	उड़द [एसपीपी विग्ना मुंगो (एल) हेप्पर की बीन्स]	मुक्त	31.03.2024 तक आयात 'मुक्त' है।	31.03.2025 तक आयात 'मुक्त' है।
07136000	तूर/पिजन पीज़ (केजनस काजन)	मुक्त	31.03.2024 तक आयात 'मुक्त' है।	31.03.2025 तक आयात 'मुक्त' है।

अधिसूचना का प्रभाव: उड़द और तूर की "मुक्त" आयात नीति दिनांक 31.03.2025 तक आगे बढ़ाई गई है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संतोष कुमार सारंगी
28.12.2023

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेल: dgft@nic.in

[फा. सं. एम-5012/300/2002/पीसी-2 (ए)/ई-1657 से जारी]